

## ‘फेमा’ अधिनियम के संबंध में जारी अधिसूचना

### संदर्भ

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर वदिशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतभूतिका आदान-प्रदान अथवा उसे जारी करना) अधिनियम में अब तक किये गए 93 संशोधनों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाकर वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को सरल बना दिया है। वदिति हो कफिमा के मानदंडों को आसान बनाने से वदिशी नविशकों के लिये देश में नविश करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।

### प्रमुख बदि

- यह अधिनियम वर्ष 1999 से प्रभाव में आया था। वर्ष 1999 से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत में नविश करना चाहता है, इस अधिसूचना के माध्यम से यह जाने में सक्षम होगा कि वह कसि कंपनी में तथा कैसे नविश कर सकता है।
- जारी नई अधिसूचना के तहत वदिशी नविशों पर बनाए गए नमिन्लखिति दो नयिमों को एक साथ जोड़ दिया गया है-

→ FEMA 20 : इसे भारतीय कंपनी में किये गए वदिशी नविश अथवा पार्टनरशिप अथवा सीमति देयता भागीदारी के रुप में जाना जाता है।

→ FEMA 24 : कसि पार्टनरशिप फर्म में हुए नविश को FEMA 24 कहा जाता है।

- इसमें में ‘लेट सबमिशन फी’ (late submission fee) का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत नविशक को यह अनुमति होगी यदि उसे नविश संबंधी सूचना जमा करने में कोई देरी होती है तो वह शुल्क का भुगतान करके इसके नयिमों उल्लंघन करने से बचाव कर सकता है।
- यदि इस संबंध में रपिर्ट को समय पर जमा नहीं किया जाता तो जमिमेदार व्यक्ति अथवा संस्थान को लेट सबमिशन फी का भुगतान करना होगा जिसका निर्धारण केंद्र सरकार से वचिर-वमिर्श के बाद रज़िर्व बैंक द्वारा कडिया जाएगा।
- इसका प्रभाव व्यापक होगा क्योंकि अब तक रज़िर्व बैंक के पास जो भी उल्लंघन संबंधी मामले आते थे उनमें 60-70% मामले रपिर्टिंग में हुई देरी के ही होते थे।
- इसके अतरिकित, गैर-प्रवासी भारतीय से कसि गैर-प्रवासी को कया गया नविश स्वचालित मार्ग के तहत लाया जाएगा और इसे दर्ज कया जाएगा। रज़िर्व बैंक को इससे संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे थे अतः इसने यह नरिणय लया कि ऐसे नविशों के लिये वनियामक की पूर्वानुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### फेमा क्या है?

- आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतस्थापित कया गया था, इसी को वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 कहा जाता है।
- यह अधिनियम भारत में नवासी कसि व्यक्ति के स्वामतिवाधीन या नयित्रण में रहने वाली भारत के बाहर की सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा प्राधकिरणों पर लागू होता है।
- फेमा की शुरुआत एक नविशक अनुकूल वधिान के रूप में की गई थी परन्तु यह एक अर्थ में पूरणतया सविलि वधिान है क्योंकि इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शास्तयिों तथा अर्थदंड का भुगतान करना ही शामिल है।
- इसके तहत कसि व्यक्ति को सविलि कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है यदि वह नोटसि मलने की तथिसे 90 दिने के भीतर नरिधारति अर्थदंड का भुगतान न करे परन्तु यह दंड भी उसे कारण बताओ नोटसि तथा वैयक्तिके सुनवाई की औपचारकिताओं के पश्चात् ही दिया जा सकता है।
- फेमा को एक कठोर कानून (यानी फेरा) से उदयोग अनुकूल वधिान अपनाने के लिये उपलब्ध कराई गई संक्रमण अवधिमाना जा सकता है।
- फेमा में केवल अधकिृत व्यक्तयिों को ही वदिशी मुद्रा या वदिशी प्रतभूतिका में लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधकिृत व्यक्तिका अर्थ अधकिृत डीलर, मनी चेंजर, वदिशी बैंकिग यूनिटि या कोई अन्य व्यक्तिजिसि उसी समय रज़िर्व बैंक द्वारा प्राधकिृत कया गया हो, से है।
- फेमा के मुख्य उद्देश्य हैं:

→ वदिशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना

→ वदिशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना।

